

FORM-1
(For Liner Projects)
Government of Rajasthan

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SAWAI MADHOPUR

No. 831

Date 16/8/19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) date 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on Submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ("FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.20 Hect. of forest land proposed to be diverted in favour of P.W.D for Road from Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District – Sawai Madhopur within the Jurisdiction of 1 Village in Tehsil Chauth Ka Barwara.

It is further certified that :-

- A. It is certified that the complete process for diversion and settlement of Rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 carried out for the entire forest area 0.20 Hect. (RF area 0.20 Hect.) proposed for diversion of Road from Renewal of Road from Chouth Ka Barwara to Nayagaon (0/0 to 4/750 km) District – Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.
- B. No such primitive Tribal Groups and Pre-agriculture communities dwell on the forest Land proposed for diversion and whose Forest Rights are required to be safeguarded as per section 3(1)(e) of the Forest Rights Act, 2006.
- C. No such facilities managed by Government required diversion of forest land u/s 3(2) of the Forest Rights Act, 2006 have been proposed over the forest land proposed for diversion.

831

No.

Copy Forwarded to :- Executive Engineer PWD Dn. II Sawai Madhopur connection of their letter no. 1718 dated 16/7/19. for N/A.

District Collector
Sawai Madhopur

Date 16/8/19

District Collector
Sawai Madhopur

आज दिनांक 13.08.2019 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रांको एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के प्रस्ताव पत्र/अनापत्ति/बैठक कार्यवाही विवरण पत्रों के अनुसार सवाई माधोपुर रिनिवल ऑफ रोड फ़ोम चौथ का बरवाडा से नयागॉव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण हेतु जिला सवाई माधोपुर के वनक्षेत्र रकबा 0.20 हैक्टेयर वन भूमियों में से होकर गुजरने वाली सडक के सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति चौथ का बरवाडा द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ़ोम चौथ का बरवाडा से नयागॉव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.


उपवन संरक्षक
सवाई माधोपुर
(सदस्य)


जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
(अध्यक्ष)

आज दिनांक 18.6.2019 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सवाई माधोपुर की आहूत बैठक के दौरान क्रमशः ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा पंचायत समिति चौथ का बरवाडा द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्न अधीनस्थ ग्राम सभा स्तरीय वनाधिकार समितियों से जारी प्रस्ताव पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण हेतु आने वाले वाली वनक्षेत्र भूमियों पर वनाधिकार अधिनियम के तहत किन्हीं पक्षकारान का कोई दावा लम्बित नहीं होना जाहिर आया है।

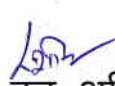
अतः एवं उपरोक्त समितियों द्वारा लिये गये प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव एवं अनापत्ति पत्रों का अनुमोदन किया जाकर जिला स्तरीय वनाधिकारी समिति को वास्ते अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इसमें दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देश पत्र दिनांक 03.08.2009 के अनुसार अधिनियम की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 दू 4/750 के निर्माण को उक्त क्षेत्र से निकालने में कोई आपत्ति नहीं है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752,753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

नोट - वन अधिकार सीमा तक


उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाडा


विकास अधिकारी
पं.सं. चौथ का बरवाडा


क्षेत्रीय वन अधिकारी
सवाई माधोपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा

पंचायत समिति चौथ का बरवाडा ,जिला सवाई माधोपुर (राज.)

सरपंच ग्राम पंचायत :- चौथ का बरवाडा, पंचायत समिति :-चौथ का बरवाडा	प्रेषिती : श्रीमान अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड-द्वितीय स.मा.
---	---

दिनांक :- 10-6-19

प्रस्ताव नकल प्रस्ताव संख्या 011

ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ग्राम चौथ का बरवाडा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में दर्ज विवरण (निम्नानुसार खसरा संख्या) के अनुसार वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई भी दावा लम्बित एवं प्रक्रियाधीन नहीं है तथा वनाधिकार समिति को रिनिवल ऑफ रोड फ्रॉम चौथ का बरवाडा से नयागाँव किमी 0/0 टू 4/750 का निर्माण किया जाता है तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव सर्व सम्मति से लिया गया है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा सं.	ग्राम पंचायत	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हैक्टीयर)
1.	चौथ का बरवाडा	742,743,744,752, 753,754,1063,1064	चौथ का बरवाडा	0.20 हैक्टीयर
कुल रकबा				0.20 है.

Shuty
सरपंच
ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा
(स.मा.)
प.स. चौथ का बरवाडा